न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

उनवान :– राजस्व विविध :– 72/2016

1. टेकसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख साकिन 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ राजस्थान– जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 25.4.2017**

प्रार्थी टेकसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख साकिन 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ मे तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 21.04.2017 के द्वारा की गई प्राप्त रिपोर्ट आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 19 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर आदेश दिये जाते है, कि प्रार्थी द्वारा निम्न खाता की भूमि पर यदि किसी बैक से ऋण आदि ले रखा हो तो भार मुक्त होनें पर निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है :–

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर	19	टेकसिंह पुत्र सरजीतसिंह	टेकसिंह पुत्र गुरदेवसिंह

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)